सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

12 से 15 अगस्त 2024

प्रेरणा स्रोत

श्रीमती आनंदी बेन पटेल

मा0 कुलाधिपति एवं राज्यपाल, उत्तर प्रदेश

विजयी विश्व तिरंगा प्यारा...
झण्डा ऊँचा रहे हमारा...

संरक्षक

प्रो0 बिहारी लाल शर्मा

कुलपति

श्री राकेश कुमार आई.ए.एस.

कुलसचिव

तिरंगा गान

भारत देश हमारा प्रणाम

घर घर तिरंगा
हर घर तिरंगा
हर घर तिरंगा
घर घर तिरंगा
प्रति घर तिरंगा
प्रति घर तिरंगा
घरो घरी तिरंगा
आसमॉ को पाना है
आसमॉ सेआग्र जाना है
नये भारत की नयी कहानी
अब आसमॉ को सुनाना है
वर्ग है इस तिरंगे पर
सारे जहां कोये दिखाएंगे
अमृत काल मनाएंगे
घर घर तिरंगा लहराएंगे
घर घर तिरंगा
हर घर तिरंगा
....
हर घर तिरंगा
इंडिया इंडिया इंडिया

केशरिया रंग है क्या

ये रंग मेरी शक्ति का है
ये रंग मेरी ताकत का है
ये रंग देश के माथे पे सजा
श्वेत है क्या
रंग सत्य का
ये श्वेत रंग शांति का है
ये श्वेत रंग एकेका है
ये रंग देश के दिल में है बस
रंग हरा तो खुशहाली का है
ये धरम चक्र विकास का
इन्हीं उसूलों से बना है
बना तिरंगा हमारा तिरंगा प्यारा
घोरे घोरे तिरोंगा
सोब घोर तिरोंगा
मेथे किरण तो
प्रोती घोरे पोता का
हर घर तिरंगा
हर घर तिरंगा
हर घर तिरंगा
हर घर तिरंगा
हर घर तिरंगा

''काकोरी ट्रेन एक्शन'' की 100वीं के अवसर पर

'काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह'

सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता

निबन्ध लेखन प्रतियोगिता

भाषण एवं वाद.विवाद प्रतियोगिता

(काकोरी ट्रेन एक्शन के प्रेरणादायी घटना एवं काकोरी के नायकों राम प्रसाद बिस्मिल, चन्द्रशेखर आजाद, रोशन सिंह, अशफाकउल्ला खान व अन्य क्रान्तिकारियों पर आधारित)

दिनांक :– 12 अगस्त 2024

कार्यक्रम संयोजक:प्रो. हरिशंकर पाण्डेय

सह कार्यक्रम संयोजक:डॉ. रविशंकर पाण्डेय

शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले
वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशां होगा

''हर घर तिरंगा''

तिरंगा यात्रा

दिनांकः 14 अगस्त 2024

स्थानः विश्वविद्यालय परिसर

तिरंगा यात्रा में राष्ट्रीयध्वज के मूल्यों का जश्न मनया जायेगा

कार्यक्रम संयोजकः प्रो. हरिशंकर पाण्डेय

सह कार्यक्रम संयोजकः डॉ. रविशंकर पाण्डेय

तिरंगा कैनवास

दिनांकः13 एवं 14अगस्त 2024

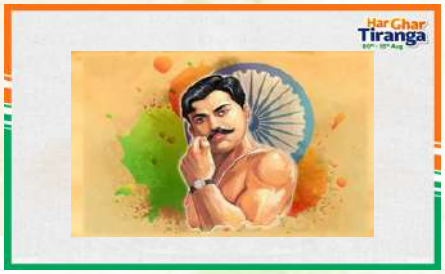

राष्ट्र गान

जन-गण-मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता ।

पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग ।

विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंग ।

तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे ।

गाहे तव जय गाथा ।

जन-गण-मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता ।

जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे ॥

राष्ट्र गीत

वंदे मातरम्, वंदे मातरम् ।
सुजलाम् सुफलाम्, मलयज शीतलाम्,

शस्यश्यामलाम्, मातरम् !
वंदे मातरम् ।

शुभ्रज्योत्सनाम् पुलकितयामिनीम्,
फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीम्,

सुहासिनीम् सुमधुर भाषिणीम्,
सुखदाम् वरदाम्, मातरम् ।
वंदे मातरम्, वंदे मातरम् ।।

झंडा गीत

विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊँचा रहे हमारा।

सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला,
वीरों को हरषाने वाला, मातृभूमि का तन-मन सारा ।।

झंडा ऊँचा रहे हमारा।

स्वतंत्रता के भीषण रण में, लखकर जोश बढ़े क्षण-क्षण में,
कांपे शत्रु देखकर रण में, मिट जाए भय संकट सारा ।।

झंडा ऊँचा रहे हमारा।

इस झंडे के नीचे निर्भय, रहें स्वाधीन हम अविचल निश्चय,
बोलो भारत माता की जय, स्वतंत्रता हो ध्येय हमारा ।।

झंडा ऊँचा रहे हमारा।

आओ, प्यारे वीरों आओ देश-धर्म पर बलि-बलि जाओ,
एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा ।।

झंडा ऊँचा रहे हमारा।

इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए,
विश्व-विजय करके दिखलाएं, तव होवे प्रण-पूर्ण हमारा ।।

झंडा ऊँचा रहे हमारा।

विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊँचा रहे हमारा।

राष्ट्रीय ध्वज सम्बन्धी जानकारी

- भारतीय ध्वज संहिता में राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के संबंध में सभी कानूनों, परंपराओं, प्रथाओं और निर्देशों को शामिल किया गया है। भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 को प्रभावी हुई है।
- भारतीय ध्वज संहिता, 2002 को 30 दिसंबर 2021 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया है। अब राष्ट्रीय ध्वज हाथ से कते और बुने हुए या मशीन से काते कॉटन/पॉलिएस्टर /ऊन/रेशम/खादी की पट्टी से बनाया जा सकता है। भारत के ध्वज संहिता के खंड 1.3 और 1.4 के अनुसार झंडा किसी भी आकार का हो सकता है लेकिन राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊँचाई (चौड़ाई) का अनुपात 3:2 होगा।
- भारतीय ध्वज संहिता के खंड 2.2 के अनुसार, सार्वजनिक, निजी संगठन या शैक्षणिक संस्थान का कोई सदस्य राष्ट्रीय ध्वज को गरिमा और सम्मान बनाए रखते हुए सभी दिनों या अवसर पर फहरा/प्रदर्शित कर सकता है।
- राष्ट्रीय ध्वज उल्टा करके प्रदर्शित नहीं किया जाएगा अर्थात केसरिया पट्टी को नीचे की पट्टी के रूप में नहीं रखना चाहिए।
- क्षतिग्रस्त या अस्त-व्यस्त राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज किसी भी समय नीचे नहीं झुकना चाहिए।
- किसी भी अन्य को राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर या उसके अगल-बगल में नहीं रखा जाएगा और मस्तूल के ऊपर जहाँ राष्ट्रीय ध्वज जाता है, किसी तरह की फूल माला या प्रतीक के साथ कोई वस्तु नहीं रखी जाएगी।
- राष्ट्रीय ध्वज पर कोई अक्षर लेखन नहीं होना चाहिए तथा निर्धारित अशोक चक्र के अलावा कोई अन्य चित्र आदि अंकित नहीं हो सकता।
- राष्ट्रीय ध्वज को किसी अन्य ध्वज या झंडे के साथ ही मास्ट(फ्लैग पोल का शीर्ष) भाग के साथ नहीं फहराया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग निजी स्तर पर की जाने वाली अंत्येष्टि सहित किसी भी अन्य अंत्येष्टि के दारान आवरण के रूप में नहीं किया जा सकता ।
- राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी भी प्रकार की पोशाक या वर्दी बनाने के लिए नहीं किया जाएगा और न ही इसे कशीदाकारी या कुशन, रूमाल, नेपकिन या किसी सामग्री पर मुद्रित किया जाएगा।
- राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग सजावट के लिए नहीं किया जाएगा।
- राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी वस्तु को लपेटने, कोई वस्तु प्राप्त करने या वितरित करने के लिए नहीं किया जाएगा।
- राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी भी वाहन की साइड्स, पृष्ठ भाग और ऊपर का भाग ढकने के लिए नहीं किया जाएगा।
- भारतीय ध्वज संहिता के भाग III की धारा III के अनुसार, यदि राष्ट्रीय ध्वज सार्वजनिक भवनों पर फहराया जाना है तो इसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक हर मौसम में समी दिनों में फहराया जाना चाहिए। इसे तेज गति से फहराया जाना चाहिए और धीरे-धीरे नीचे उतारा जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय ध्वज पानी, जमीन, फर्श या पगडंडी को नहीं छूना चाहिए।
- राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी ऐसे तरीके से प्रदर्शित या बांधा नहीं जाएगा, जिससे उसे कोई क्षति होने की संभावना हो।

झण्डा फहराने के नियम

1- प्रत्येक नागरिक को अपने आवास/स्कूल तथा सरकारी कार्यालयों में झण्डा सम्मान के साथ झण्डा संहिता का अनुपालन करते हुए फहराना/लगाना है।
2- झण्डा फहराते समय सदैव केसरिया रंग की पट्टी झण्डे के ऊपर की तरफ होनी चाहिए।
3- झण्डे को यदि सरकारी परिसर में फहराया जाता है तो सूर्योदय के उपरान्त ध्वजारोहण किया जाना चाहिये तथा सूर्यास्त के साथ ही सम्मान के साथ इसे उतारना चाहिए।
4- दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाये जाने वाले झण्डों को उक्त समयावधि के उपरान्त आदर भाव के साथ उतार कर सुरक्षित रखा जायेगा।
5- झण्डा उतारने के बाद किसी भी नागरिक के द्वारा इसे फेंका नहीं जायेगा। उसे सम्मान के साथ फोल्ड करके रखा जाना चाहिए।
6- विशेष परिस्थितियों में झण्डा रात्रि में फहराया जा सकता है।
7- हर घर पर झण्डा विधिवत् तरीके से लगाया जाना चाहिए। आधा झुका, फटा या कटा झण्डा लगाया जाना निषेध होगा।

78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं !

प्रो० बिहारी लाल शर्मा
कुलपति

राकेश कुमार
आई०ए०एस०
कुलसचिव

प्रो० दिनेश कुमार गर्ग
विनाधिकारी

प्रो० हरिशंकर पाण्डेय
छात्रकल्याणसंकायाध्यक्ष

एवं **समस्त विश्वविद्यालय परिवार**